

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज०)

क्रमांक:- राजस्व/2023/24

दिनांक 24/01/2023

उनवान:- मोहनबाई बनाम राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पिडावा  
धारा 138 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :- दिनांक 24/01/2023

प्रार्थीया मोहनबाई पिता बापूलाल जाति राजपूत नि० हरनावदागजा तहसील पिडावा जिला झालावाड के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पिडावा की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम हरनावदागजा पटवार मण्डल हरनावदागजा तहसील पिडावा की जमाबन्दी सम्वत 2074-77 मे खाता संख्या 488, 489, 205, 97 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ग्राम हरनावदागजा पटवार मण्डल हरनावदागजा तहसील पिडावा	488, 489, 205, 97	मोहनबाई पिता बापू	मोहनबाई पिता बापूलाल

उपखण्ड अधिकारी पिडावा

जिला झालावाड  
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

दिनांक 24/01/2023

क्रमांक:- राजस्व/2023/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार पिडावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

